राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक 27(22) ग्रावि/ग्रुप–5/इ.आ./विविध/2015–16 जयपुर, दिनांक 3/3/2017

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

<u>सीमित निविदा सूचना</u>

ग्रामीण विकास विभाग (अनुभाग–5) जयपुर द्वारा संचालित इन्दिरा आवस योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 की सी.ए. ऑडिट आदि कार्य हेतु प्रतिष्ठित एवं योग्य फर्मो से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत सीमित निविदाएं आमंत्रित की जाती है। सीमित निविदाएं दिनांक 14.03.2017 को दोपहर 12:00 तक बन्द लिफाफे में प्राप्त की जावेगी। प्राप्त सीमित निविदाओं को उसी दिन क्रय समिति के समक्ष सांय 3:00 बजे उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। दरें निम्न प्रारूप संस्था के लैटरपैड पर प्रस्तुत की जावेगी:–

क्र.सं.	कार्य का नाम	दर एक मुश्त
1	अंक मिलान का कार्य	
2	बाउचर फीडिग का कार्य	
3	आडिट रिपोर्ट का कार्य	

1. बैंक अंक मिलान, बाउचर फीडिग, एवं आडिट रिपोर्ट का कार्य 31.03.2017 तक पूर्ण करना होगा।
2. पीडी खाता/बैंक अंक मिलान, बाउचर फीडिग, एवं आडिट रिपोर्ट कार्य हेतु पारिश्रमिक एक मुश्त देय होगा, इसके अलावा कोई शुल्क, कर किराया भत्ता आदि देय नही होगा।
3. कार्य पूर्ण होने पर परियोजना अधिकारी (लेखा) के प्रमाणीकरण उपरान्त ही पारिश्रमिक देय होगा।
4. आंशिक कार्य की स्थिति में कोई पारिश्रमिक देय नही होगा।
5. बैंक अंक मिलान के पश्चात बैंक अवशेष एवं केश बुक अवशेष का मिलान टेली से करना होगा।
6. अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगे:
   - कि वह इन्दिरा आवास योजना के दिशा निर्देशों से भली भांति परिचित है।
   - राज्य सरकार द्वारा मेचिग की राशि निर्धारित समय में रिलीज की गयी है।
   - अंकेक्षण की अवधि के लिए बैंक खातों/पीडी खाता का मिलान हो गया है।
   - स्थायी सम्पतियों/संसाधनों की पंजिका दिनांक संधारित है।
   - व्यय में अग्रिम राशि को समाविष्ठ नही किया गया है और एक साल से अधिक के अग्रिमों को अलग दर्शाया गया है।
   - वर्षान्त में प्रदर्शित राशियों का पूरा विवरण संलग्न है।
7. अन्य शर्तें वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास विभाग जयपुर के पत्रांक एफ 13(108) वि यो/सीए/2/97 पार्ट–4/618–649 दिनांक 26.02.2008 एवं 02 मार्च, 2015 के अनुरूप (प्रति संलग्न है) वर्ष 2016–17 के लिए तदनानुसार लागू होंगी।
8. सफल निविदादाता को पत्र प्राप्ति के सात दिवस में निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध प्रस्तुत कर उक्त कार्य आरम्भ करना होगा।
9. निविदा सम्बंधी समस्त प्राधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता में निहित होगें।

निविदादाता के हस्ताक्षर

संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(अनुभाग–7)

क्रमांक–एफ 13(108)वियो/सीए/2/97/पार्ट–4/618-649 जयपुर,दिनांक 26/2/08.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)
जिला परिषद (समस्त) राज.।

विषयः–ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के वर्ष 2007–08के लेखों का अंकेक्षण करने हेतु सनदी लेखाकारों का पैनल भिजवाने बाबत।

महोदय,

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार जिला परिषद (ग्रा0वि0प्र0) के वार्षिक लेखें वर्ष 2007–08 का अंकेक्षण करने हेतु सनदी लेखाकारों की नियुक्ति हेतु निम्नांकित प्रकियानुसार कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र की जानी अपेक्षित हैः–

1. सभी जिला परिषदों द्वारा गत वर्षो की भांति पॉच प्रतिष्ठित सनदी लेखाकारों के नामों का पैनल दिनांक 15.3.2008 तक प्रपत्र "अ" में इस विभाग को भिजवाया जावे।
2. जिला परिषदों द्वारा सनदी लेखाकारों के नामों का पैनल प्रस्तावित करते समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।
   (अ) ऐसे सनदी लेखाकार का नाम पैनल में नहीं भेजा जावें, जिसने विगत तीन वर्षो तक लगातार आपके ग्रामीण विकास अभिकरण/ जिला परिषद (ग्रा0वि0प्र0) के लेखों का अंकेक्षण किया है।
   (ब) सनदी लेखाकार की ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के लेखों के अंकेक्षण करने हेतु सहमति हो।
   (स) सनदी लेखाकार के पास ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के लेखों का अंकेक्षण कार्य 31 अगस्त,2008 तक पूरा करने की पूर्ण क्षमता हो।
3. जिला परिषदों (ग्रा.वि.प्र.) से सनदी लेखाकारों के नामों का पैनल प्राप्त होने के बाद इस विभाग द्वारा अप्रेल 2008 के प्रथम सप्ताह तक अभिकरणों के लेखों का अंकेक्षण करने हेतु सनदी लेखाकारों का मनोनयन कर आपको सूचित किया जावेगा।
4. इस विभाग द्वारा मनोनीत सनदी लेखाकार को जिला परिषद द्वारा वर्ष 2007–08 के लेखों के अंकेक्षण करने हेतु नियुक्ति दी जावेगी। नियुक्ति पत्र में समस्त शर्तो एवं उनको दी जाने वाली फीस एवं इस पर नियमानुसार देय सर्विस टैक्स का पूरा विवरण अंकित होगा तथा इस संबंध में सनदी लेखाकार एवं जिला परिषद के मध्य निर्धारित प्रारूप में अनुबंध पत्र निष्पादित कराया जावेगा।
5. भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार ग्रामीण विकास प्रकोष्ठों के लेखें प्रतिवर्ष आगामी वित्तीय वर्ष में 30 जून तक तैयार कर जिला परिषद की शासकीय परिषद से अनुमोदन पश्चात सनदी लेखाकार से उन्हें 31अगस्त,तक अंकेक्षित करवाकर इस विभाग/ महालेखाकार को 30 सितम्बर, तक भिजवाया जाना आवश्यक है।
6. सनदी लेखाकार से जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के लेखों का आडिट करने की सहमति लेने से पूर्व कृपया उन्हें यह अवगत करवा देवें, कि उन्हें अंकेक्षण का कार्य दिये जाने की स्थिति में अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें:–

(1) कि वह जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के दिशा निर्देशों से भली भांति परिचित है।
(2) राज्य सरकार द्वारा मैचिंग शेयर की राशि निर्धारित समय में रिलीज की गयी है।
(3) अंकेक्षण की अवधि के लिए बैंक खातों का मिलान हो गया है।
(4) स्थायी सम्पत्तियों/ संसाधनों की पंजिका आदिनांक संधारित है।
(5) व्यय में अग्रिम राशि को समाविष्ठ नहीं किया गया है और एक साल से अधिक के अग्रिमों को अलग से दर्शाया गया है।
(6) वर्षान्त में प्रदर्शित अग्रिम राशियों का पूरा विवरण संलग्न है।

7. जिला परिषद (ग्रा0वि0प्रकोष्ठ) के अतिरिक्त जिला परिषद के अन्य प्रकोष्ठों द्वारा संचालित ऐसी समस्त योजनाओं जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित है,का अंकेक्षण भी नियुक्त किये जाने वाले इसी सनदी लेखाकार द्वारा ही किया जाकर ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के पेटर्न पर ही लेखों का प्रमाणीकरण एवं आडिट रिपोर्ट जारी करने की कार्यवाही की जावेगी। इसके लिए जिला परिषद द्वारा सनदी लेखाकार को पृथक से किसी आडिट फीस का भुगतान नहीं किया जावेगा। जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा सनदी लेखाकार को नियुक्ति देने से पूर्व इस संबंध में भी सनदी लेखाकार से पूर्व सहमति प्राप्त की जावे।

8. जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के लेखों का अंकेक्षण करने हेतु भुगतान की जाने वाली फीस/ पारिश्रमिक का विवरण निम्न प्रकार है:--

जिला ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2007–08में समी योजनाओं परव्यय की जाने वाली राशि एवं जिला परिषदों को ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा हस्तान्तरित की गई योजनाओं पर जिला जिला परिषद द्वारा व्यय की गई राशि।	भुगतान योग्य/ पारिश्रमिक/ आडिट फीस की राशि
रूपये 10 करोड तक	रूपये 5000.00
रूपये 10 करोड से अधिक किन्तु 15 करोड तक	रूपये 7500.00
रूपये 15 करोड से अधिक किन्तु 20 करोड तक	रूपये 10,000.00
रूपये 20 करोड से अधिक किन्तु 25 करोड तक	रूपये 12500.00
रूपये 25 करोड से अधिक	रूपये 15000.00

आपसे अनुरोध है कि कृपया आपके जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के वर्ष 2007--08 के लेखों के अंकेक्षण हेतु उपरोक्त निर्देशानुसार पांच सनदी लेखाकारों के नामों का पैनल इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र "अ" में इस विभाग को दिनांक 15.3.2008 तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। इस प्रपत्र में सनदी लेखाकारों का नाम वरीयता के अनुसार क.सं. 1, से 5 पर अंकित करावें।

संलग्नः--प्रपत्र"अ"

भवदीय,

26/2/08

वित्तीय सलाहकार

DOC-1

प्रपत्र" अ "

जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) का नामः–.....

	क.सं.1	क.सं.2	क.सं.3	क.सं.4	क.सं.5	वि.वि.
1. सनदी लेखाकार का फर्म का नामः–						
2.सनदी लेखाकार फर्म का पता टेलीफोन नं.						
3.मुख्य कार्यालय का पता,टेलीफोन नं.						
4.(ए) फर्म द्वारा विगत वर्षो का जि.ग्रा.वि.अ.के लेखों के अंकेक्षण का अनुभव वर्ष 2006–07 वर्ष 2005–06 वर्ष 2004–05 वर्ष 2003–04 4. (बी) क्या फर्म द्वारा पूर्व में सम्पादित अंकेक्षक समय पर पूर्ण किया? यदि नहीं तो कारण?	जि.प.(ग्रा. वि.प्र.) का नाम जिसका अंकेक्षण किया	जि.प.(ग्रा. वि.प्र.) का नाम जिसका अंकेक्षण किया	जि.प.(ग्रा. वि.प्र.) का नाम जिसका अंकेक्षण किया	जि.प.(ग्रा. वि.प्र.) का नाम जिसका अंकेक्षण किया	जि.प.(ग्रा. वि.प्र.) का नाम जिसका अंकेक्षण किया	
5.फर्म के पास उपलब्ध आटिकल्स की सं.						
6.क्या फर्म अंकेक्षण के लिए सहमत है सहमति पत्र फर्म के लेटर हैड पर प्रस्तुत किया गया हो की प्रति संलग्न करें।						
7.क्या फर्म को अंकेक्षण पूरा करने की अवधि एवं वांछित प्रमाण पत्र दिये जाने की जानकारी दे दी गयी हैः–						
8.क्या सनदी लेखाकार ने जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.)द्वारा नियत पारिश्रमिक पर आडिट करने की सहमति प्रदान कर दी हैः–						

परियोजना अधिकारी (लेखा)
(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)

153

85

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग–7)

क्रमांक प.13(26)/ग्रावि/7/सीए ऑडिट/2008/564-96 जयपुर,दिनांक 02 MAR 2015

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद(ग्रा.वि.प्र.)
समस्त।

विषयः–जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के लेखों का सनदी लेखाकार से अंकेक्षण कराने हेतु भुगतान की जाने वाली संशोधित फीस / पारिश्रमिक का निर्धारण की सूचना बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा वर्ष में सभी योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि एवं जिला परिषदों को ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा हस्तानान्तरित की गई योजनाओं पर जिला परिषद द्वारा व्यय की गई राशि के अनुसार अंकेक्षण हेतु सनदी लेखाकार को भुगतान की जाने वाली फीस /पारिश्रमिक का संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। तदनुसार अंकेक्षण कराया जाकर समेकित अंकेक्षित वार्षिक लेखें 30 सितम्बर,तक विभाग को आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

जिला ग्रामीण तविकास प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष में सभी योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि एवं जिला परिषदों को ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा हस्तानांतरित की गई योजनाओं पर जिला परिषद द्वारा व्यय की गई राशि	वर्तमान में भुगतान योग्य/पारिश्रमिक /ऑडिट फीस की राशि	संशोधितभुगतान योग्य / पारिश्रमिक/ ऑडिटफीस कीराशि (निर्धारित)
रू.10 करोड तक	रू.5000/–	रू.6000/–
रू.10करोड से अधिक किन्तु 15 करोड तक	रू.7500/–	रू.9000/–
रू.15 करोड से अधिक किन्तु 20 करोड तक	रू.10000/–	रू.12000/–
रू.20 करोड से अधिक किन्तु 25 करोड तक	रू.12500/–	रू.15000/–
रू.25 करोड से अधिक	रू.15000/–	रू.18000/–

उक्त संशोधन शासन सचिव महोदय से अनुमोदित है।

(राम किशोर)
वित्तीय सलाहकार